क़ुर्बानी –
अल्लाह से नज़दीकी का माध्यम

अल्लाह तआ़ला कायनात का सत्य मालिक है। सब इसी के बन्दे हैं। इस की बन्दगी ही बन्दों की शान व प्रतिभा है इस की इ़बादत ही बन्दों का स्तर है।

बन्दों का प्रत्येक कर्म अपने पालनहार के लिए होना चाहिए। बन्दों का हर कर्म व कार्य इसी अल्लाह की मरज़ी के अनुसार हो। उन की इ़बादत व रियाफत, उन की हर हरकत इसी खुदा के लिए हो।

उन का जीना उसी के लिए हो एवं मरना उसी की रज़ा व सन्तुष्टि के लिए हो। जैसा के अल्लाह तआ़ला ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम की समुदाय को शिक्षा दीः-

भाषांतरः- अवश्य मेरी नमाज़, मेरी सम्पूर्ण इ़बादतें, मेरा जीना एवं मेरा मरना, अल्लाह तआ़ला के लिए है ज सम्पूर्ण संसारों का पालनहार है।

(सुरह अल अनआ़मः 06:162)

हम बन्दें, पालनहार के लिए क़ुर्बानी कर के इस बात का सबूत देते हैं के हम इस के अह्काम (प्रावधान) के सामने सरंगों हैं। शरीअ़त में निर्धारित एक जानवर का खून बहा कर इस चिन्ता की तजदीद करते हैं के हमारी सजदे उसी रब के लिए है।

हम बन्दे अपने समय व पल को अपनी सम्पूर्ण गुणों व सलाहियतों को, अपने धन व सामग्री को यहाँ के अपनी प्रिय जान को अल्लाह तआ़ला की प्रसन्नता के लिए क़ुर्बान कर दें तब भी हम से सत्य बन्दगी संपादन नहीं हो सकता।

क़ुर्बानी – अल्लाह तआ़ला के पास प्रिय

अल्लाह तआ़ला के दरबार में क़ुर्बानी करना, उसे प्रिय व महबूब है, इस के बिना बन्दा सालेहीन व नेकोकारी प्राप्त नहीं कर सकता। अल्लाह तआ़ला का आदेश हैः-

भाषांतरः- तुम नेकी और वफ़ादारी के दर्जे को नहीं पहुँच सकते, जब तक कि उन चीज़ों को (अल्लाह के मार्ग में) खर्च ना करो, जो तुम्हे प्रिय हैं।

(सुरह आले इ़मरानः 03:92)

अल्लाह तआ़ला ने सुरह अल कौसर में क़ुर्बानी करने का आदेश फरमाया। अल्लाह तआ़ला का आदेश हैः-

भाषांतरः- तो आप अपने रब के लिए नमाज़ पढिए एवं क़ुर्बानी कीजिए।

(सुरह अल कौसरः 107:02)

क़ुर्बानी का तात्पर्य एवं इस का लक्ष्य पालन व बन्दगी है। क़ुर्बानी के जानवर का गोश्त (मांस) पोस्त, खून आदि अल्लाह के दरबार में नहीं पहुंचता, बल्कि अल्लाह तआ़ला बन्दे की परहेज़गारी एवं इस का इखलास देखता है।

अल्लाह तआ़ला का आदेश हैः-

भाषांतरः- क़ुर्बानी का ना माँस अल्लाह तआ़ला को पहुंचता है और ना रक्त परन्तु तुम्हारा तक़वा (धर्मपरायणता) इस के दरबार में पहुँचता है।

(सुरह अल हज्जः 22:37)

क़ुर्बानी अल्लाह तआ़ला की प्रसन्नता का साधन

इ़दुल अज़हा के अवसर पर क़ुर्बानी से अल्लाह तआ़ला की सन्तुष्टि व प्रसन्नता प्राप्त होती है। अर्थात शुअ़बुल इ़मान में हदीस पाक हैः-

عن عائشۃ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماعملٰادمی من عمل یوم النحرأحب الی اللہ من اہراق الدم انہ لیاتی یوم القیامۃ بقرونہا وأشعارہا وأظلافہا وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل أن یقع من الارض فطیبوا بہا نفسا۔

भाषांतरः- हज़रत सैयदना अबु हुरैरह रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम से वर्णित करते हैं। सरकार पाक सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने आदेश फरमायाः तुम्हारी अपनी ईद के दिन दुंबा ज़िबा (वध व संहार) करने के तुम्हारे कर्म से तुम्हारा पालनहार खुश होता है।

(शुअ़बुल इ़मान, जिल्द 5, पः 482, हदीस संख्याः 7085)

क़ुर्बानी खुशदिली से की जाए

क़ुर्बानी के अनेक विशिष्टता व उत्तमता हैं एवं इसके सवाब व पुण्य की बात कई एक हदीसों वर्णन हैं। ईदुल अज़हा के दिन अल्लाह तआ़ला के पास प्रिय कर्म क़ुर्बानी करना है। जानवर का खून पूर्व स्थान स्वीकृत में पहुंचता है।

उस के बाद धरती पर गिरता है। अर्थात क़ुर्बानी करने हैं आलस्य या पस व पेश नहीं करना चाहिए। पालनहार के पास प्रिय यह कर्म बतीब लिए और अत्यन्त प्रसन्नता के साथ करना चाहिए।

जामअ़ तिरमिज़ी शरीफ में हदीस पाक हैः-

عن زيد بن أرقم قال قال أصحاب رسول الله صلى عليہ وسلم يا رسول الله ماہذه الأضاحى؟ قال: سنۃ أبيكم ابراہيم عليہ السلام۔ قالوا: فما لنا فيہا يا رسول الله ؟ قال: بكل شعرۃ حسنۃ ۔ قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرۃ من الصوف حسنۃ۔

भाषांतरः- हज़रत सैयदतना आयशा सिद्दीखा रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु से वर्णित है हज़रत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम ने निवेदन कियाः या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम यह क़ुर्बानियां किया हैं ? सरकार पाक सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने आदेश फरमायाः तुम्हारे पिता इ़बराहीम अलैहिस सलाम की सुन्नत है। सहाबा किराम ने निवेदन कियाः तो इस में हमारे लिए कया है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम! छोटे से बाल के

बदले एक विशाल नेकी व भलाई है। सहाबा किराम गुज़ार हुएः या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम! फिर अवन के बारे में कया आदेश है ? सरकार पाक सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने आदेश फरमायाः अवन के छोटे से बाल के बदले एक विशाल नेकी व भलाई है।

(सुनन इ़ब्न माजह, जिल्द 2, पः 226, हदीस संख्याः 3247)

जिस धन के द्वारा क़ुर्बानी का जानवर खरीदते हैं। वह अल्लाह तआ़ला ही का प्रदान है। वह अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम की समुदाय पर किस प्रकार महेरबान व करमनवाज़ है के वही धन प्रदान करता है फिर क़ुर्बानी करने पर जानवर के प्रत्येक बाल के बदले एक विशाल नेकी व भलाई दान करता है।

ईद के दिन सर्वश्रेष्ठ धन वह है जो क़ुर्बानी के लिए खर्च किया जाए

मानव अपनी आवश्यकता व अनिवार्यता के लिए धन खर्च करता है अपनी जाइज़ इच्छा व कामना की संपादन करता है। धन से सदखा व खैरात भी करता है। परन्तु इ़बादुल अज़हा के दिन इस धन से श्रेष्ठ व उत्तम कोई धन नहीं जो क़ुर्बानी के लिए खर्च किया जाता है।

जैसा के शुअ़बुल इमान में हदीस पाक हैः-

भाषांतरः- सैयदना अबदुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु से वर्णित है, आप ने फरमाया हज़रत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने आदेश फरमायाः ईद के दिन सब से सर्वश्रेष्ठ दिरहम वही है जो ज़िबा किए जाने वाले जानवर में खर्च किया जाए।

(शुअ़बुल इमान, जिल्द 5, पः 482, हदीस संख्याः 7084)

अधिक मूल्य वाले जानवर – उत्तमता का कारण

क़ुर्बानी के जानवरों की दाम व मूल्य बहुत बडी हुई हैं। पूर्व चंद वर्षों से प्रत्येक वर्ष गिरानी में अधिक ही हो रहा है। सोंचने कि बात यह है के कम क़ीमत वाले जानवर की क़ुर्बानी काफी है या अधिक राशि वाले जानवर की क़ुर्बानी करनी चाहिए?

इस सिलसिले में यह कर्म अवश्य है के क़ुर्बानी का जानवर स्वस्थ हो, घाव वाला ना हो एवं तवाना हो, यदि स्वस्थ जानवरों के अनेक प्रकार हों और इन के मूल्य में अंतर हो तो कम मूल्य वाले जानवर की क़ुर्बानी भी श्रेष्ठतर हो जाती है।

किन्तु अधिक राशि वाले जानवर की क़ुर्बानी करने में अधिक पुण्य व सवाब तथा उत्तमता है।

जैसा के कंज़ुल उम्माल में सरकार पाक सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम का आदेश मुबारक हैः-

إن أفضل الضحايا عند الله أغلاها وأنفسها

भाषांतरः- निस्संदेह अल्लाह तआ़ला के पास सर्वश्रेष्ठ क़ुर्बानी वह है जो सब से अधिक राशि एवं सब से अधिक उत्तम हो।

(कंज़ुल उम्मल, ह़दीस संख्याः 12693)

क़ुर्बानी ना करने पर चेतावनी

अल्लाह तआ़ला ने सक्षम व समर्थ्य रखने वालों के जिम्मे क़ुर्बानी रखी है। एवं इस के लिए पुण्य व सवाब की गवाही निर्धारित हुई हैं जैसा के आप ने हदीसें देखी है, इस के विरुद्ध जो व्यक्ति सक्षम व समर्थ्य के बावजूद क़ुर्बानी ना करे सच्चाई में उस ने अल्लाह तआ़ला के आदेश के विरुद्ध कर्म किया। इस व्यक्ति के लिए कठिन चेतावनी आई है।

जैसा के शुअ़बुल इ़मान में हदीस पाक हैः-

عن أبی ہریرۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من وجد سعۃ فلم یذبح فلا یقربن مصلانا۔

भाषांतरः- हज़रत सैयदना अबु हुरैरह रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु हज़रत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम से वर्णित करते हैं, आप सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने आदेश फरमायाः जिस व्यक्ति ने सक्षम पाया और क़ुर्बानी ना की, वह कभी हमीर ईदगाह के खरीब ना आए।

(शुअ़बुल इमान, जिल्द 5, पः 481/482, हदीस संख्याः 7083)

क़ुर्बानी के दिन और समय

कौन से दिन में क़ुर्बानी करनी चाहिए एवं किस दिन क़ुर्बानी करना अधिक पुण्य व सवाब का कारण है?

इस से संबंधित कंज़ुल उम्माल में हदीस पाक हैः-

भाषांतरः- हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु से वर्णित है, आप फरमाते हैः क़ुर्बानी के दिन 3 हैं एवं इन में सर्वश्रेष्ठ प्रथम दिन है।

(कंज़ुल उम्मा, किताबुल हज्ज, हदीस संख्याः 12676)

वर्णन हदीस पाक की बिना पर फुक़्हा (धर्मशास्त्र) किराम ने फरमाया है के क़ुर्बानी के 3 दिन हैः 10,11,12 ज़िल हिज्जा, क़ुर्बानी का समय 10 ज़िल हिज्जा इदुल अज़हा की नमाज़ के बाद से 12 ज़िल हिज्जा की सूर्यास्त तक है। इस के बाद क़ुर्बानी नहीं की जा सकती एवं रात में क़ुर्बानी करना शरीअ़त के आधार पर मकरुह (निषिद्ध) है।

तनवीरुल बसार मअ़ अल रद्दुल मुक़तार में हैः-

(तनवूरुल बसार मअ़ अल रद्दु मुक़तार, जिल्द 5, पः 219)

क़ुर्बानी करने वाले व्यक्ति एवं चंद महत्वपूर्ण मसाइल

जो मुसलमान सन्तुलित व बालिग़ हो, निसाब (निर्धारित राशि) का मालिक हो एवं यात्री व क़र्ज़दार ना हो इस पर क़ुर्बानी वाजिब (अनिवार्य) है। क़ुर्बानी वाजिब होने के लिए धन बढने वाला होना या इस पर वर्ष गुज़रना शर्त नहीं है किन्तु ज़कात वाजिब होने के लिए धन का बढ़ने वाला होना तथा इस पर वर्ष गुज़रना अवश्य है।

क़ुर्बानी वाजिब होने के लिए दनी सक्षम व समर्थ्य का वर्णन हदीस पाक में निर्धारित हैः-

عَنْ أَبِی ہُرَیْرَۃَ أَنَّ رَسُولَ اللَّہِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ مَنْ کَانَ لَہُ سَعَۃٌ وَلَمْ یُضَحِّ فَلاَ یَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا۔

भाषांतरः- हज़रत सैयदना अबु हुरैरह रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु से वर्णित है के हज़रत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने आदेश फरमायाः जिस व्यक्ति के पास सक्षम व समर्थ्य (क्षमता) हो और वह क़ुर्बानी ना करे कभी भी हमारी ईदगाह के खरीब ना आए।

(सुनन इ़ब्न माजह, पः 226, हदीस संख्याः 3242)

क़ुर्बानी की निर्धारित राशि क्या है?

क़ुर्बानी के सिलसिले में निसाब (निर्धारित राशि) के मालि होने का तात्पर्य यह है के मनुष्य बुनयादी आवश्यकता के अतिरिक्त 60 ग्राम 755 मिली ग्राम सोने या 425 ग्राम 285 मिली ग्राम चाँदी का मालिक हो या इस के बराबर राशि या इतनी क़ीमत वाली चीज़ें इस के पास में हों।

विषयासक्त व शानदार मकान, सवारी, वस्त्र एवं घर का अपेक्षित सामान बुनियादी आवश्यकता में प्रवेश हैं।

फुक़्हा किराम ने वस्त्र के बारे में यह विस्तार वर्णन की के एक व्यक्ति के लिए 3 अलग कपडे बुनियादी अवश्यकता में शामिल है। एक घर में पहन्ने के लिए, एक काम-काज के समय पहन्ने के लिए तथा एक जुमआ़, ईदैन और अन्य अवसर पर पहन्ने के लिए।

इस के अतिरिक्त मनुष्य के पास जितने कपडे हैं, सब बुनियादी अवश्यकता से अधिक हैं, शानदार मकान के सिलसिले में यह स्पष्ट किया गया के हर के लिए दो मकान, एक गरमी के मौसम और एक सरदी के मौसम के अनुसार से हों। अधिक रसोई घर, स्नानघर व शौचालय बुनियादी अवश्यकता में शामिल है।

जैसा के रद्दुल मुक़तार जिल्द 5 किताबुल ज़हियह पः 219 में हैः-

(قولہ الیسار الخ)بان ملک مائتی درہم اوعرضا یساویھا
غیرمسکنہ وثیاب اللبس اومتاع یحتاجہ الی ان یذبح الاضحیۃ . . .
وصاحب الثیاب الاربعۃ لوساوی الرابع نصابا غنی وثلاثۃ فلا لان
احد ھا للبذلۃ والاٰخرللمھنۃ والثالث للجمع والوفدوالاعیاد۔

भाषांतरः- फुक़्हा किराम की इस स्पष्टीकरण के प्रति देखा जाए के सानदार भवन व घर एवं अवश्यकता के वस्तुएं के अतिरिक्त और कया-कया चीज़ें मानव के पास हैं। यदि इनकी राशि व मूल्य 60 ग्राम 755 मिली ग्राम सोने या 425 ग्राम 285 मिली ग्राम चांदी के बराबर है तो क़ुर्बानी वाजिब घोषित होगी।

जैसे अवश्यकता की सवारी के अतिरिक्त कोई और सवारी (गाडी), 3 जोड़ों के अलावा वस्त्र में अधिक जोड़े और अवश्यकता से अधिक अन्य चीज़ें, इन सब की राशि यदि सोने या चांदी के वर्णन निसाब (निर्धारित राशि) तक पहुंचती हो तो क़ुर्बानी वाजिब (अनिवार्य) है चाहे इस पर वर्ष गुज़रे या ना गुज़रे, वह व्यापार के विचार से खरीदी गई हो या नहीं।

कुछ लोग यह समझते हैं के घर के जिम्मेदार पर क़ुर्बानी वाजिब है। दुसरों के लिए अनिवार्य नहीं। इस के बारे में यह बुद्धि में रखलें के क़ुर्बानी नमाज़, रोज़ा, ज़कात के प्रकार स्थाई व हमेशा की इ़बादत है जो वर्णन निसाब के अनुसार क्षमता (सक्षम व समर्थ्य) हों तो हर एक के जिम्मे अलग अलग क़ुर्बानी वाजिब (अनिवार्य) होती है।

कया कर्जदार पर क़ुर्बानी वाजिब है ?

बहुत से लोग ऐसे होते हैं के उन पर कर्ज व उधार होता है। अनेक अवश्यकता व अपेक्षाओं के प्रति वह दुसरों के देनदार व कर्जदार होते हैं उन पर क़ुर्बानी वाजिब होगी या नहीं। इस के लिए एक नियमवर्णन किया जाता है उसे बुद्ध में रक लेनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के पास वर्णन निसाब के प्रकार धन है और वह कर्जदार भी है।

ऐसी स्थिति में यह देखा जाए के इस के धन से यदि कर्ज संपादन किया जाए तो इस के पास बुनियादी अवश्यकता के अतिरिक्त निसाब के प्रकार धन या सामान बाखी रहता है या नहीं। यदि इसके धन से कर्ज व उधार की अदायगी व अपाकर्म के बाद वह निसाब का मालिक रहता है तो इस पर क़ुर्बानी वाजिब होगी।

कुछ लोग अवश्यकता से अधिक सामान रखते हैं के उन पर क़ुर्बानी वाजिब (अनिवार्य) होती है किन्तु वह इस लिए क़ुर्बानी नहीं करते के उन के पास उनती राशि उपलब्ध नहीं एवं वे अपने आप को मजबूर व दुर्बल समझते हैं। हालांके उन के पास शरीअ़त के अनुसार परेशानी नहीं है।

जिस पर क़ुर्बानी वाजिब है, यदि इस व्यक्ति के पास वर्तमान में नखद राशि ना हो तब भी उसे कर्जे-हसना ले कर या फिर अवश्यकता से अधिक जो सामान है उसे बेच कर के क़ुर्बानी करनी होगी। यदि कोई कर्ज के संपादन के बाद निसाब के योग्य नहीं रहता तो ऐसे व्यक्ति पर क़ुर्बानी वाजिब नहीं।

फतावा आलमगिरी, जिल्द 5, किताबुल अहज़ियह, पः 292 में वर्णन है।

ولوكان عليہ دين بحيث لو صرف فيہ نقص نصابہ لاتجب۔

व्यापारियों पर क़ुर्बानी का आदेश

कुछ व्यापारी व व्यवसायी लोग इस उम्मीद पर कर्ज लेते हैं के व्यापार में मुनाफा व फायदा हो जाए तो इस की राशि से कर्ज संपादन हो जाएगा। जब निर्धारित समय समाप्त हो जाता है, कर्ज के समापन का समय आता है तो अल्लाह की कृपा से फायदा प्राप्त हो जाता है तो कर्ज संपादन कर देते हैं। वरना दूसरे व्यक्ति से कर्ज प्राप्त कर के पूर्व कर्ज संपादन करते हैं।

इस प्रकार कर्ज लेने और देने का सिलसिला जारी रहता है। इस के बावजूद इन के पास अवश्यकता के चीज़ें उपलब्ध होती हैं। गाडी उपयोग करते हैं। परिवार की अवश्यकता पूरी करते हैं तथा सम्पूर्ण अवश्यकता व अनिवार्यता का समापन करते हुए भी वे कर्जदार ही रहते हैं।

ऐसे व्यापारी व कारोबारी लोग को क़ुर्बानी के सिलसिले में निम्नलिखित वर्णन स्पष्टीकरण के अनुसार सोंच-विचार करना चाहिए के इन पर क़ुर्बानी वाजिब (अनिवार्य) है या नहीः

यदि उन के पास वर्णन निसाब (निर्धारित राशि) के प्रकार धन है एवं इन के जिम्मे कर्ज व उधार इस प्रकार रहे के इन के धन से कर्ज संपादन किया जाए तो बुनियादी अवश्यकता के अतिरिक्त निसाब के प्रकार धन या सामान बाखी नहीं रहता तो उन पर क़ुर्बानी वाजिब नहीं।

यदि इन के धन से कर्ज व उधार के संपादन के बाद वह निसाब के मालिक रहते हैं तो इन पर क़ुर्बानी वाजिब व अनिवार्य होगी।

क़ुर्बानी का जानवर कैसा हो ?

क़ुर्बानी के लिए यह जानवर विशेष हैः बकरा, बकरी, मेण्डा, भेडा, बैल, काय, खुलगा भैंस, ऊंट, ऊंटनी इन के अतिरिक्त दूसरे जानवरों की क़ुर्बानी सही नहीं।

क़ुर्बानी के लिए बकरे की कम से कम 1 वर्ष, गाय की 2 वर्ष एवं ऊंट की 5 वर्ष है। इस से कम कम उम्र वाले जानवर की क़ुर्बानी श्रेष्ठ नहीं। 6 महीने का दुंबा यदि इतना मोटा और लम्बा हो के 1 वर्ष के बकरे के बराबर दिखाई देता हो तो इस की क़ुर्बानी श्रेष्ठ है।

इन जानवरों की उम्र वर्णन उम्र अधिक हो तो जो बडा हो जाइज़ बल्कि उचित है। बकरा 1 वर्ष से कम, गाय 2 वर्ष से कम और उंट 5 वर्ष सेकम हो तो इन जानवरों की क़ुर्बानी श्रेष्ठ नहीं।

गाय और ऊंट की क़ुर्बानी 7 लोग की ओर से करना श्रेष्ठ है।

बकरा, बकरी, मेण्डा, भेड़ में से एक जानवर एक व्यक्ति की ओर से होना चाहिए तथा बैले, गाय, खुलगा, भैंस, ऊंट, ऊंटनी में से एक जानवर 7 लोग की ओर से क़ुर्बानी दी जा सकती है यथा 7 लोग शरीक हो कर एक बैल या गाय या ऊंट आदि की क़ुर्बानी करें तो श्रेष्ठतर है।

जिन खोट के कारण क़ुर्बानी श्रेष्ठ नहीं

क़ुर्बानी के द्वारा बन्दा अल्लाह तआ़ला के दरबार में नज़दीकी प्राप्त करता है अर्थात क़ुर्बानी के लिए ऐसे जानवर का चुनाव व प्रसरण करना चाहिए। जो फरबा, सहीह व अच्छा हो और अंधा, लंगडा, बीमार (रोगी), कमजोर ना हो।

निम्नलिखित खोट व कमी वाले जानवरों की क़ुर्बानी श्रेष्ठ नहीं। अंधा, काना, लंगडा, अत्यन्त दुबला जो क़ुर्बानी के स्थान तक चल ना सके, 1/3 से अधिक कान या दुम या सरीन कटा हुआ, 1/3 से अधिक जिस की बीनाई जाती रही हो, बिना दांत, और वह जानवर जिस की सींगें जड से टूट गई हों। किन्तु माँ के पेट से जिस की सींग ना हो इस की क़ुर्बानी श्रेष्ठ है।

जानवर के खोट से संबंधित मुसनद इ़माम अहमद बिन हंबल में हदीस पाक है:-

عن البراء بن عازب ان رسول الله صلى الله عليہ وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فقال اربع، وقال البراء ويد ى اقصرمن يد رسول الله صلى الله عليہ وسلم العرجاء البين ظلعها والعوراء البين عورها والمريضۃ البين مرضها والعجفاء التى لاتنقى ۔

भाषांतरः- हज़रत सैयदना बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु से वर्णित है के हज़रत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम से निवेदन किया गया के किन जानवरों की कुर्बानी नहीं करनी चाहिए तो आप सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने आदेश दियाः 4- हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने फरमायाः

और मेरा हाथ रसूल पाक सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ से छोटा व कमतर है।
(1)- ऐसा लंगडा जानवर जिस का लंगडा होना दिखता व प्रदर्शित हो।

(2)- काना- जिस का काना होना स्पष्ट हो।

(3)- बीमार- जिस का रोग दिखता हो।

(4)- ऐसा कमज़ोर व दुर्बल जिस की हड्डियों में गोदा ना हो।

(मुसनद इ़माम अहमद बिन हंबल, हदीस संख्याः 19185)

अधिक यह रिवायत सुनन कुबरा लिल बैहखी, हदीस संख्याः 19567- में भी वर्णन है और मुबारक हाथ के बजाए अंगुली और पूरों का वर्णन है।

अन्य रिवायतों में 4 के शब्द के साथ संकेतक व इशारे का शब्द वर्णित है। मुबारक आदेशों के साथ सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हुम ने सरकार पाक सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम की हरकतें व व्यवहार को भी हमेशा वर्णन फरमाया है।

वर्णन हदीस पाक में हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने आदेश वर्णन कर दिया एवं सरकार पाक सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने मुबारक हाथ से जो 4 का इशारा किया, उस को शब्द में वर्णन किया। उन के शिष्टाचार की आज्ञा नहीं दी के अपने हाथ से 4 का इशारा भी कर दें।

व्यवहार के अनुसार सरकार पाक सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम की मुबारक अदा वर्णन करने की भावना रखते हैं परन्तु मुबारक इशारे को नक़्ल करने के लिए शिष्टाचार व आदर रुकावट बन रहा है।

अंत में तकलीफ पेश कर दीके मेरा हाथ सरकार दो आ़लम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ से छोटा व कमतर है। मेरी अंगुलियां, आप (सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम) की आदरणीय अंगुलियों से कमतर है।

मेरे पूर आप (सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम) के बरकत वाले पूरों के सामने कम हैं। इस प्रकार सहाबा किराम ने समुदाय को शरीअ़त के मसाइ़ल बतलाए एवं दरबार रिसालत सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम का आदर व सम्मान भी सिखाया।

जैसा के हज़रत शेखुल इसलाम आरिफ बिल्लाह इ़माम मुहम्मद अनवारुल्लाह फारूखी रहमतुल्लाहि अलैह ने अनवार अहमदी में लिखा हैः-

बुर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने जब इस घटना को वर्णन किया। आदर व सम्मान की आज्ञा ना दी के आप सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ की हिकायत अपने हाथ से केरं अंत में तकलीफ प्रकट कर दी के मेरी अंगुलियां छोटी हैं जिन को आप हज़रत सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम की अंगुलियां साथ कुछ नाता नहीं।

अब हरव्यक्ति समझ सकता है के 4 का इशारा हाथ से करने में उद्देश्य केवल तईन अद्र है देखने से ना इस में कोई मसादात कि संकेत है ना सम्मान के विरुद्ध बावजूद इस के आदर व सम्मान सहाबियत ने मुबारक हाथ की हिकायत को भी गवारा ना किया जिस से तशबिय अनिवार्य आ जाती थी अब दूसरे शिष्टाचार व सभ्याचार को इसी पर खियास कर लेना चाहिए।

(अनवार अहमदी, पः 249)

ज़िबा का तरीक़ा

ज़िबा (वध व संहार) करने का तरीक़ा यह है के प्रथम जानवर को पानी पिला कर बायं ओर पर इस प्रकार लिटाएं के जानवर का सर दक्षिण की ओर और मंह क़िबले की ओर रहे फिर दायं हाथ में तेज़ छुरी ले और "*बिसमिल्लाही अल्लाहु अकबर*" कह कर शक्ति व प्रबलता और तेजी के साथ गले पर गांठी से नीचे छुरी चलाएं।

इस अंदाज़ पर के चारो रगे कट जाएं परन्तु सर अलगान हो। कांटना समाप्त होते ही जानवर को छोड दें।

ज़िबा में इन 4 रगों का कांटना अवश्य हैः-

(1)- *नरखरा*- (भोजन-नली) जिस से सांस आती-जाती है।

(2)- *मरी*- (श्वासनली) जिस से खाना-पानी पेट में जाता है।

(3/4)- (ग्रीवा शीरा व गले के) दोनों रगें, जिन में खून भरता है और जो नरखरा (भोजन-नली) और मरी (श्वासनली) के दायं-बायं होती हैं।

रद्दुल मुक़्तार, जिल्द 5, पः 207 में हैः-

اذاقطع الحلقوم والمرئ والاكثر من كل ودجين يؤكل وما لا فلا اهـ

क़ुर्बानी देने वाला का ज़िबा करना- उचित

क़ुर्बानी के जानवर को खुद क़ुर्बानी देने वाला व्यक्ति का ज़िबा (संहार व वध) करना उचित व श्रेष्ठतर (मुसतहब) है। यदि खुद अच्छे प्रकार ज़िबा ना कर सकता हो तो किसी और से ज़िबा कराए ऐसी स्थिति में क़ुर्बानी वाले व्यक्ति के लिए श्रेष्ठतर है के ज़िबा के समय सामने रहे।

जैसा के कंज़ुल उ़म्माल में हदीस पाक हैः-

عن على أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: قومى يا فاطمة فاشهدى أضحيتک، أما إن لک بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة كل ذنب أصبته، أما إنه يجاء بها يوم القيامة بلحومها ودمائها سبعين ضعفا، ثم توضع فى ميزانک، قال أبو سعيد الخدرى: أى رسول الله؛

أہذہ لآل محمد خاصۃ فہم أہل لما خصوا بہ من خیر؟ أم لآل محمد وللناس عامۃ؟ قال بل ہی لآل محمد وللناس عامۃ۔

भाषांतरः- हज़रत सैयदना अ़ली मुरतज़ा रज़ियल्लाहु तअ़ाला अन्हु से वर्णित है के हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु तअ़ाला अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तअ़ाला अन्हा से आदेश फरमायाः ऐ फातिमाउठो और अपनी क़ुर्बानी के जानवर के पास उपस्थित रहो। सुनो! इस के खून का प्रथम बूंद करते ही क़ुर्बानी करनेवाले व्यक्ति की सम्पूर्ण पापों व दोष जो इस ने की हैं क्षमा कर दिया जाता है। सुनो! क़यामत के दिन क़ुर्बानी का जानवर अपने गोश्त और खून के 70 गुना अधिक के साथ लाया जाएगा, फिर मीज़ान में रखा जाएगा। हज़रत अबु सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तअ़ाला अन्हु ने निवेदन कियाः या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तअ़ाला अलैहि वसल्लम! कया यह कृपा व उत्तमता अहले बैत के लिए विशेष है ? वह लोग तो हर इस भलाई व कुशल के अधिकारी हैं जो इन के साथ विशेष कर दिए जाएं। या यह उत्तमता अहले बैत और सर्व लोगों के लिए सामान्य है ? आप ने आदेश फरमायाः बल्कि यह आल (वंश) मुहम्मद सल्लल्लाहु तअ़ाला अलैहि वसल्लम के लिए विसेष और सम्पूर्ण लोगों के लिए सामान्य है।

(कंज़ुल उ़म्माल, हदीस संख्याः 12671)

क़ुर्बानी के समय की दुआ

बिसमिल्लाही अल्लाहु अकबर कह कर जानवर को ज़िबा करें और कोई भी मासूर दुआ पढें दुआ से संबंधित इमाम तबरानी की मुअ़जम कबीर मेंह पाक हैः-

عن ابن عباس رضى الله تعالى عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليہ وسلم يضحى بكبشين أملحين يضع رجلہ على صفاحہما إذا أراد أن يذبح، ويقول:بسم الله منک ولک اللہم تقبل من محمد۔

भाषांतरः- हज़रत सैयदना अबदुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु से वर्णित है आप ने फरमाया हज़रत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम सफेद व काला रंग वाले 2 दुंबे ज़िबा फरमाते। जब सरकार पाक सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ज़िबा करने का लक्ष्य करते तो अपना मुबारक खदम जानवर के पहलू पररखते और यह दुआ़ फरमातेः بسم الله منک ولک اللہم تقبل من محمد (लिप्यंतरणः-) अल्लाह तआ़ला के नाम से, ऐ अल्लाह! यह तेरा ही दान है और तेरे दरबार में क़ुर्बानी है, ऐ अल्लाह! यह मुहम्मद (सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम) की ओर से है इसे स्वीकार कर।

(अल मुअ़जम अल कबीर लिल तबरानी, हदीस संख्याः 11166)

वर्णन दुआ़ के अंत में *मिन मुहम्मद* के बजाए *मिन्नी* कहें।

सुनन अबु दाउद में हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम से यह दुआ़ व्याख्या हैः-

भाषांतरः- अवश्य मैं ने इबराहीम अलैहिस सलाम के समुदाय पर स्थापित रह कर सम्पूर्ण अदयान से मुंह मोड कर अपना रुक़ एकसुई से इस जात की ओर फेर लिया है जिस ने आकाशों एवं धरती को बेमिसाल पैदा किया है और मैं मुशरिकों में से नहीं हों, अवश्य मेरी नमाज़, मेरी सम्पूर्ण इबादतें, मेरा जीवन तथा मेरी मृत्यु अल्लाह तआ़ला के लिए है जो सम्पूर्ण जहानों का पालनहार है। इस का कोई शरीक नहीं एवं इसी का मुझे आदेश दिया गया है तथा मैं मुसलमानों में से हुँ। ऐ अल्लाह! ये तेरी ही दान है तथा तेरे दरबार में क़ुर्बानी है, ऐ अल्लाह! मुहम्मद (सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम) की ओर से और आप की समुदाय की ओर से स्वीकार कर। अल्लाह तआ़ला के नाम से, अल्लाह तआ़ला बहुत बड़ा है।

(सुनन अबी दाऊद, हदीस संख्याः 2797)

वर्णन किए दुआएं अंत में *अन मुहम्मदिनवा उम्मतिह* के बजाए *अ़न्नी* कहे। यदि दुसरों की ओर से ज़िबा करना हो तो प्रथम दुआ *मिन* के बाद और दूसरी दुआ में *अ़न* के बाद क़ुर्बानी देने वाले व्यक्ति का नाम वर्णन करे।

क़ुर्बानी के उत्तमता व महिमा से संबंधित विस्तार ज्ञान व परिचय एवं फिक़्ही ज्ञान के लिए लेखक की पुस्तक "मसाइल क़ुर्बानी दौर हाज़िर के तनाज़ुर में" उर्दू और अंग्रेजी में प्रकाशित हो चुकी है। इसे दर्शन किया जा सकता है।

अल्लाह तआ़ला से दुआ है के हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम के तुफैल शिष्टाचार व सभ्याचार के साथ क़ुर्बानी करने एवं क़ुर्बानी के तात्पर्य के अनुसार अपने जीवन को गुज़ारने की मार्गदर्शन प्रदान करे।

आमीन...

अनवार-क़िताबत-12